अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के सिद्धांत

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय छात्र अपना समय सुरक्षित, सकारात्मक और उत्पादक रूप से गुजार सकें, इन सिद्धांतों के अंतर्गत मानवाधिकार संबंधी कुछ प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सहायता के लिए, इन सिद्धांतों द्वारा कुछ व्यावहारिक एवं मानवाधिकार-आधारित उपाय तय किए गए हैं।

सिद्धांत 1: अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मानवाधिकारों की संवृद्धि

इस सिद्धांत को लागू करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी उद्यमी:

1.1 यह सुनिश्चित करें कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र और उनके परिवार के लोग किफ़ायती चिकित्सा और अस्पताल में उपचार तक अपनी पहुंच हासिल कर सकें

1.2 यह सुनिश्चित करें कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र और उनके परिवार के लोग इस बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हों कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाए, और यह कि स्वास्थ्य सेवाओं को सेवाएं प्रदान करने के अपने अनिवार्य कर्तव्य के बारे में पता हो

1.3 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और उनके पार्टनरों के लिए लैंगिक रूप से विशिष्ट स्वास्थ्य शिक्षा तथा समुचित प्रसूति परिचर्या को सुगम बनाने की दिशा में सहायता दें

1.4 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए किफ़ायती एवं सुरक्षित आवासीय विकल्पों के लिए प्रयास करें

1.5 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के घर पर रहने की व्यवस्थाओं के संदर्भ में सुरक्षा और दायित्वशीलता को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय या राष्ट्रीय रूप से संगत न्यूनतम मानदंडों का विकास सुनिश्चित करें

1.6 किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन साधनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा, संरक्षा और सामाजिक समावेश को बेहतर बनाएं

1.7 यह सुनिश्चित करें कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके रोजगार संबंधी अधिकारों, खास-तौर पर वेतनमान, कार्य की शर्तों तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के मामलों में सही-सही जानकारी उपलब्ध हो

1.8 संबंधित छात्र के मूल देश में किसी खास संकट की स्थिति बने रहने पर, समग्र सरकारी स्तर पर एक अग्रसक्रिय, समयबद्ध तथा लोचपूर्ण अनुक्रिया को अंगीकार करें जिससे तत्संबंधी वित्तीय, सुरक्षा विषयक और उस देश के छात्रों के कल्याण संबंधी मामलों का निराकरण हो सकता हो और ऐसी अनुक्रिया के बारे में छात्रों को तुरंत

जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके अंतर्गत *"स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया"* (ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन) की वेबसाइट (www.studyinaustralia.gov.au) के माध्यम से दी गई जानकारी भी शामिल है।

सिद्धांत 2: यह सुनिश्चित करना कि सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मानवाधिकारों तक पहुंच और भेदभाव से रक्षा पाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो

इस सिद्धांत को लागू करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी उद्यमी:

2.1 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को इस बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराएं कि वे अपने अधिकारों के संभावित और वास्तविक उल्लंघनों के बारे में शिकायत कैसे करें

2.2 यह सुनिश्चित करें कि किरायेदारी संबंधी अधिकारों और दायित्वों तथा शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए तथा साझा निवास-स्थल के प्रसंग में शोषण और असुरक्षा की दशा समाप्त की जाए

2.3 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को इस बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि वे अपने रोजगार संबंधी अधिकारों के संभावित और वास्तविक उल्लंघनों के बारे में शिकायत कैसे करें

2.4 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लक्षित कानूनी सलाह और सहायता तक पहुंच प्राप्त कराई जाए।

सिद्धांत 3: अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की विविध जरूरतों को समझना

इस सिद्धांत को लागू करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी उद्यमी:

3.1 ऐसे शोध तथा डाटा-संग्रह का काम आरंभ करें जो गोपनीयता कानून और तत्संबंधी सरोकारों के प्रसंग में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने में मदद दे सकें

3.2 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लक्ष्य बनाकर किए गए नस्लभेद और नस्लभेद की भावना से प्रेरित अपराधों के अनुभवों के बारे में डाटा एकत्र करें और उसके बारे में रिपोर्ट दें, तथा यह सुनिश्चित करें कि इस डाटा में नीति और सेवा प्रदायन के बारे में जानकारी निहित हो

3.3 सार्वजनिक रूप से यह रिपोर्ट दें कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मृत्यु की संख्याओं और उनके कारणों से संबंधित आंकड़ों का उपयोग किस प्रकार उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

सिद्धांत 4: ऑस्ट्रेलिया में उनके निवास के दौरान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सशक्तीकरण

इस सिद्धांत को लागू करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी उद्यमी:

4.1 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, उनके प्रतिनिधि निकायों तथा सरकारी संगठनों सहित अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एकजुट करने के कार्य में लगे हुए अन्य संगठनों के लिए बेहतर परिणाम उत्पन्न करने के तौर-तरीकों की पहचान करने हेतु सतत अवसरों को विकसित करने के कार्य में लग जाएं

4.2 अंग्रेजी तथा अनुवाद अथवा दुभाषियों के समुचित प्रयोग द्वारा एवं सामाजिक मीडिया के प्रयोग सहित अन्य कल्पनाशील तरीकों से प्रासंगिक भाषाओं में सतत रूप से सूचना प्रदान करते हुए, सूचना संसाधनों और सेवाओं को और अधिक सुगम बनाएं

4.3 *स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया* (ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन) वेबसाइट के माध्यम से प्रमुख सूचना संसाधनों और सेवाओं के बारे में जागरुकता बढ़ाएं

4.4 अंतर्राष्ट्रीय छात्र स्थानीय एवं प्रासंगिक मुद्दों को समझ सकें, जैसे स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका, सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण, सेक्स संबंधी जागरुकता तथा शारीरिक एवं भौतिक कल्याण, इसके लिए सतत रूप से अवसरों को प्रोत्साहित करें

4.5 प्रथाओं के मूल्यांकन, नीतियों की समीक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ परामर्श करते हुए उनकी सांस्कृतिक प्रभाव-क्षमता एवं कुशलताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाएं

4.6 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं से परामर्श के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्थानीय छात्रों तथा वृहत्तर समुदाय के सदस्यों के साथ पारस्परिक अभिक्रिया के सतत अवसरों का सृजन करें।

ऑस्ट्रेलिया का मानवाधिकार आयोग किसी व्यक्ति के/की:

- लिंग (सेक्स)
- विकलांगता
- नस्ल (नस्लीय घृणा सहित)
- उम्र
- यौन अभिरुचि, आपराधिक रिकॉर्ड, व्यापार संघ संबंधी कार्यकलापों, राजनीतिक विचारों, धर्म या सामाजिक मूल (केवल रोजगार के संदर्भ में)

के आधार पर किए गए भेदभाव, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार संबंधी शिकायतों की जांच और उनका निराकरण कर सकता है। भेदभाव तथा अपने अधिकारों के बारे में नि:शुल्क परामर्श प्राप्त करने अथवा शिकायत दर्ज़ करने के लिए आयोग की शिकायत सूचना लाइन **02 9284 9888**, **1300 656 419** (स्थानीय कॉल) अथवा **1800 620 241** (टीटीवाई) पर फोन करें।

शिकायत या प्रतिवाद करने संबंधी जानकारी वेबसाइट www.humanrights.gov.au पर उपलब्ध है। आप complaintsinfo@humanrights.gov.au पर आयोग को ईमेल भी भेज सकते/सकती हैं।

13 14 50 पर संपर्क करके ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार आयोग से निवेदन करने पर नि:शुल्क अनुवाद और दुभाषिया सेवा भी उपलब्ध है।